FORM No. III
फर्द अहकाम
नियम (26)

अज अदालत .... उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम .... ईटावा ....

..........गिरिराज प्रसाद.......... बनाम ....राज्य सरकार..........

किस्म मुकदमा........................ मिसल नं. 5/2023..........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए
2/11/25	उभयपक्ष बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता के कथा किया की खसरा नंबर 2500 ,0.08 हेक्टेयर का रिकॉर्डेड खातेदार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हैं तथा प्रार्थी विवादित भूमि पर बंदोबस्त से पूर्वी पूर्व की स्थिति के अनुसार ही मौके पर खसरा नंबर 2500 रकबा 0.08 हैकटेयर भूमि पर काबिज है डिंक वर्तमान ऑनलाइन का नक्शा खसरा नंबर 2500 के स्थान पर 2499 वह खसरा नंबर 2400 के स्थान पर 2500 अंकित कर दिया है जिसमें पीडब्ल्यूडी द्वारा अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी कर प्रार्थी के खसरा नंबर 2500 से कब्जा हटाने हेतु आदेशित किया जा रहा है तथा निवेदन किया की प्रथम दृष्टिया मामला प्रार्थी के पक्ष में हैं अगर सेटलमेंट त्रुटि के कारण प्रताप को बेदखल किया गया वह उसे अपने सती होगी पता और प्रार्थी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे प्रतिवादी 2 के अधिवक्ता ने कथन किया कि मुताबिक राज्य राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी अतिक्रमी है अतः उसे बेदखल किया जाना विधिक प्रक्रिया के अधीन है भूमि शहरी क्षेत्र में है अतः नगर पालिका को पार्टी बनाया जाना अनिवार्य था अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाए उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी खसरा नंबर 2499 पर काबिज हैं जबकि खातेदार 2500 की है प्रथम दृष्टिया मामला प्रार्थी के पक्ष में है तथा दोराने वाद अगर प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा बेदखल किया जाता है यह कब्जा हटवाया जाता है तो प्रार्थी को अपूरर्णीय क्षति होगी संविदा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में हैं क्योंकि अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थी को बेदखली की संभावना से है या वास्तविक बेदखली से प्रार्थी को असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा वहीं यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी जाती है तो अप्रार्थी को कोई और असुविधा कारित होना संभावित नहीं लगता है अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किए जाने योग्य हैं न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनाका 20/2/ 2020 पुष्टि की जाती है तथा यह मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक प्रभावी रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो। दफतर हो। (हस्ताक्षर)	